FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी [illegible] के समक्ष उपस्थित हुए। दिनांक [illegible] 08 माह 2016

हुक्म या कार्यवाही तथा हस्ताक्षरों सहित	अपील व अपील अदालत की हुक्म हुक्म की तारीख तक जारी हुए
पत्रावली वादिनी महेश [illegible] द्वारा दिये गये आवेदन से यह प्रकाश में आई है कि वादीन प्रार्थी विधवा को अपने नहीं बनाना चाहते हैं। अतः वे नोट देना रखना चाहते हैं। अतः वादीन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधवा नहीं पाने से विधवा इसी स्तर पर खारिज की जाकर, न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई।	

पत्रावली का अवलोकन किया गया चूँकि उक्त प्रकरण के मूल वाद मे राजीनामा होने से मूल वाद डिक्री किया जा चुका है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.01.2016 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
बीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner